राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक:– प.18(5)/शिक्षा–4/2021 पार्ट 1 जयपुर, दिनांक 29.09.202

कुलसचिव, समस्त राज्यवित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषय: ईडब्ल्यूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने एवं कोरोना से माता/पिता/पति को खोने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में राहत देने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में लेख है कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों के लिए राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण देय है। इस वर्ग के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिले, इस हेतु विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) की भांति इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को रिक्त स्थान रहने पर अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरियता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियताश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जावे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोरोना से हो गई है तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, उन्हें विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जावे। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जाएगी। ऐसे प्रकरण में मृत्यु के प्रमाणन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी डेथ रामरी/मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोविड–19 में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड–19 द्वारा मृत्यु का उल्लेख होने पर भी लाभ दिया जाये।

अत: विश्वविद्यालयों में प्रवेश में उपर्युक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कर विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ. 7 (4) प्रवे नीति/अकाद/आकाशि/2021–22/256, दिनांक 25.08.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा